



2026:AHC:12987

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट याचिका-सी संख्या - 206 सन् 2026

शिवेंद्र निषाद याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : आदिल अहमद खान

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया,

1. उप-मंडल मजिस्ट्रेट, तहसील-निचलौल, जिला महाराजगंज/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 9 दिसंबर, 2025 को पारित आदेश को वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतिम रूप से संपन्न नीलामी कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था।
2. प्रतिवादी-ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर भारती ने प्रारंभिक आपत्ति उठाई है कि उपरोक्त आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता के पास उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 59 के तहत कलेक्टर के समक्ष अपील दायर करने का वैधानिक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है।
3. इस स्तर पर, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध वैधानिक वैकल्पिक उपाय के आधार पर वर्तमान रिट याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया है।
4. इसी के मद्देनजर, वैधानिक वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के आधार पर वर्तमान रिट याचिका को खारिज किया जाता है।

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

30 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"